अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 115/2012

शिव कुमार मांझी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 2414, दिनांक 08.08.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 23 श्री विश्वनाथ मुखर्जी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा शिव कुमार मांझी, ज0वि0प्र0वि0, अनु सं0-75/2007, पंचायत-सहवां, प्रखंड-इसुआपुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई- 1. दूकान बंद। 2. लाभुकों को सूची प्रदर्शित नहीं। 3. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। 4. पंजी अनुमंडल में जमा रखना। 5. निरीक्षण/ शिकायत पंजी का संधारण नहीं। 6. कैशमैमो नहीं देना। 7. उपकरण का सत्यापन नहीं। 8. प्रतिलीटर 17 रूपये किरासन तेल देना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 493, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें प्रसंग में उसके द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के	

द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को विक्रेता की दूकान खुली थी, लेकिन विक्रेता नेफ्ट का पैसा जमा करने मुरलीपुर तरैया गया था, जो विक्रेता के धर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जांच दल को विक्रेता के पुत्र के द्वारा जांच में सहयोग किया गया। विक्रेता के पुत्र नाबालिग है, जिससे कई बिन्दूओं पर जांच के कम में कुछ कागजात उपलब्ध नहीं कराया जा सका। विक्रेता के द्वारा कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है। विक्रेता के विरूद्ध ग्रामीण राजनीति की वजह से कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई, जो पूरी तरह से गलत है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेशानुसार विक्रेता के द्वारा सभी पंजी एवं कागजात अनुमंडल कार्यालय में दिनांक 05.01.2012 को जमा कर दिया गया था। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का ससमय उठाव एवं कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ता के द्वारा की गई शिकायत से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह स्पष्ट रूप से अंकित नही किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध कौन-कौन से आरोप लगाए गए थे। इससे किया गया कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता के विरूद्ध जांच के कम में पाई जाने वाली किसी भी प्रतिकूल बिन्दु के संबंध में विक्रेता को उसकी स्पष्ट

विवरणी उपलब्ध कराकर कारण पृच्छा करना आवश्यक है, जो अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया।

अतः ऐसी परिस्थिति में, अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2414, दिनांक 08.08.2012) को त्रुटिपूर्ण पाकर उसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 07.09.2012 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2585/न्या0 /न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/8/15